सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 97 राँची, शुक्रवार, 10 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

31 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-112/2017-664 (HRMS)-- श्री प्रमोद कुमार दास, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डांडी, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में श्री दास के विरूद्ध मनरेगा योजनाओं में प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 25 मानव दिवस के सृजन करने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 312 के विरूद्ध मात्र 73 डोभा का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने, मात्र 47% जॉब कार्ड का सत्यापन करवाने, विभागीय निर्देश के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लंबित योजनाओं को पूर्ण नहीं करवाने, मनरेगा अंतर्गत कुल 36% विलम्बित (Delay

Payment) भुगतान का मामला रहने एवं मात्र 2 परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10030, दिनांक 20.07.2017 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक 20.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा प्रखण्ड में कर्मियों की कमी एवं प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 14 पंचायतों में 5 पंचायत Central Coalfields Limited के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अधिग्रहित रहने का उल्लेख किया गया।

श्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3281, दिनांक 17.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-97/स्था0, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री दास के स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्री दास के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.04.2017 को Video Confrencing के माध्यम से दिये गये निर्देश के बावजूद भी प्रखण्ड डांडी में डोभा निर्माण का कुल लक्ष्य 467 के विरूद्ध मात्र 224 डोभाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 13.01.2018 तक मात्र 101 डोभा का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करवाकर MIS में Close करने के निर्देश के बावजूद दिनांक 19.01.2018 तक वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक की कुल 458 योजनाएँ लम्बित थी एवं दिनांक 19.01.2018 तक मात्र 69% योजनाओं का ही जियो टैगिंग करवायी गई, जो श्री दास की उनके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प सं0-1753(hrms), दिनांक 15.04.2019 द्वारा श्री दास के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री दास के पत्र, दिनांक 11.07.2019 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1775, दिनांक 19.07.2019 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री दास द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रमोद कुमार दास, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डांडी, हजारीबाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इन पर अधिरोपित सेवा सम्पुष्टि की तिथि

से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PRAMOD KUMAR DAS JHK/JAS/141	श्री प्रमोद कुमार दास, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डांडी, हजारीबाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इन पर अधिरोपित सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 97 -- 50